

## प्रेस नोट

विशेष दल के जरिये प्रशासन के द्वारा दमण की जनता के हित में लिए गए कदमों के लिए फैलाई जा रही है भ्रान्तिया

दमण एवं दीव के समस्त नागरिको से अपील की जाती है की वे ऐसे किसी भ्रामक प्रचार में न आये जिसका विशेष दल के जरिये इस्तेमाल किया जा रहा है। आबकारी विभाग द्वारा जारी दिनांक १८.०४.२०१४ प्रेस नोट का अर्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब अवैध रूप से लेजाने को लेकर है ना की वैध शराब की मात्रा बिल के साथ ले जाने से। अतः इस अपील से आम नक्रीको को अनुरोध किया जाता है कि वे अपने साथ अपना पहचान पत्र एवं शराब क्रम का प्रमाण अवश्य साथ में रखे।

उक्त प्रेस नोट आगामी ३० अप्रैल, २०१४ को होने जा रहे १ दमण एवं दीव संसदीय क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से करने की तैयारी का ही एक भाग है तथा इसके जरिये आम नागरिको के मताधिकार की सुनिश्चितता बिना किसी लोभ, लालच अथवा प्रलोभन के हो ऐसा प्रयास किया जाता है।

जनहित में जारी

आबकारी विभाग दमण